

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्रकरण संख्या :- 09/2024
भगवानी बनाम रामस्वरूप वगै०

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील में
जारी हुए

अपील अ. धा. 75 राज. भू राजस्व अधिनियम

24/11/24

पत्रावली वारंते आदेश पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने कथन किया कि भूमि हाल खसरा नं. 124, 1428/626 व 1448/887 कुल किता 3 कुल रकबा 2.19 हैक्टर स्थित ग्राम हासलसर का पूर्व में खातेदार काश्तकार जोधाराम पुत्र खम्मराम रहा। जोधाराम के कुल 9 संताने पैदा हुई जिसमें 3 पुत्र संतान एवं 6 पुत्रीयां क्रमशः स्व. मरवण, भगवानी, भतेरी, संतोष, मुन्नी व बबीता है। मरवण का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान अपीलान्त सं 6 लगायत 8 है। जोधाराम का देहान्त दिनांक 19.10.2001 को एवं जोधाराम की पत्नी सुरजली का देहान्त दिनांक 02.02.2014 को होने के पश्चात विरासतन नामान्तकरण सं. 346 दिनांक 28.12.2001 एवं नामान्तकरण सं. 1089 दिनांक 05.03.2014 को भरा गया उसमें उनके विधिक वारिसान अपीलान्तस का नाम भी दर्ज करना चाहिये था लेकिन रेस्पोंडेन्ट सं. 1 एव रेस्पोंडेन्ट सं. 2 लगायत 5 के पति/पिता स्व. महेन्द्र सिंह एव रेस्पोंडेन्ट सं. 6 राजेश कुमार ने राजस्व कर्मचारियों से साज कर विरासतन नामान्तकरण दर्ज करवाया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत हासलसर, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुन्डुनू द्वारा भरे गये नामान्तकरण सं. 1089 दिनांक 05.03.2014 को खारिज किया जाकर विधिवारिसान के मुताबिक नामान्तकरण तस्दीक किया जाये। जबाब में अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट ने अपील स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों तथा राजस्व रिकॉर्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत हासलसर द्वारा विधिवारिसान की जांच कर सही नामान्तकरण तस्दीक नहीं करना जाहिर है तथा ग्राम पंचायत का नामान्तकरण संख्या 1089 आदेश दिनांक 05.03.2014 विधिस्समत प्रतीत नहीं होता है। अतः बाद अवलोकन पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व बगौर मनन बहस वकील पक्षकारान अपील अपीलांट को न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। लिहाजा :-

-: आदेश :-

अपील अपीलांट को स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम हासलसर पटवार हल्का हासलसर तहसील गुढागौड़जी के हाल भूमि खसरा नं. 124, 1428/626 व 1448/887 कुल किता 3 कुल रकबा 2.19 हैक्टर में ग्राम पंचायत हासलसर द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 1089 आदेश दिनांक 05.03.2014 को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को आदेशित किया जाता है कि वर्णित खसरा नम्बरान में विधिवारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तकरण तस्दीक करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24/11/24 को खुले इजलास सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्डुनू
24/11/24
उपखण्ड अधिकारी, झुन्डुनू (राज.)